



शाहपुरा जिला सीलवाडा  
पदेन उपखण्ड अधिकाारी  
सहायक कलेक्टर एवं

मिजावे।

प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भोजकर लेख है कि उक्तनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट

शाहपुरा जिला सीलवाडा  
पदेन उपखण्ड अधिकाारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
(सुनील कुमार शीमा)



दफतर हों। निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को सुनाया गया।

सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल करें। पत्थरगाड़ी से पूर्व समस्त पक्षकारान (किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को भूमि पर अन्य कारतक/अतिक काबज है तो पत्थरगाड़ी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित विचारणीय होने एवं न्यायालय का स्थान होने की दशा में पत्थरगाड़ी की कार्यवाही नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण रिकार्ड में कदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थना की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही में चाराजोड़ी कर अर्जती प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय प्रकरण में प्ररनगत आरजती में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, हेतु पाबंद करवावे। दाराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस लामिल करवा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थना से भू0310निरीक्षक बख्खड़ा मौके पर जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-आमलेख निरीक्षक बख्खड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगाड़ी विपक्षीय की आरजती का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थना की पत्थरगाड़ी किये बख्खड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आरजती खसरा नम्बर 3638/117 रकबा 0.7250 है0 एवं इससे लगती 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना के संयुक्त खातेदारी की आरजती राजस्व ग्राम रडंड 40ह0 रडंड भू0310निरीक्षक अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थना अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

—:आदेश:-

समझता हूँ।

प्रार्थना के खर्च पर प्रार्थना की आरजती की पत्थरगाड़ी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित शाहपुरा की प्रार्थना की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराखिजात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए का स्वतंत्रता से उपभोग कर सकें। अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाते हुए तहसीलदार हों, व इस हेतु सीमांकन करवा सकें एवं सीमाचिन्ह लगावा सकें ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों